राजाराम वगैरा / राज० सरकार व अन्य

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
8.2.21	पत्रावली पेश हुई। कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील के साथ संलग्न स्थगन प्रा०पत्र पर विद्वान वकील अपीलांट को एकपक्षीय सुना। विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि ख० नं० 2184 रकबा 1.10 हे० वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर अपीलांट की खातेदारी की है, जिस पर कोई गैर कृषि कार्य अवैध निर्माण अपीलांट द्वारा नही किया जा रहा है। तहसीलदार द्वारा गलत तौर पर तहत न्यायालय में धारा 177 R.T. एक्ट प्रकरण दायर किया गया है और उसके साथ धारा 212 R.T. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर उसमें अपीलांट को बिना सुने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली। अतः निवेदन है कि स्थगन प्रा० पत्र स्वीकार किया जावे। हमने अपील के तथ्यों पर गौर किया तथा अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया। तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है। जब कि अपीलांट खातेदार है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु तहत अदालत को निर्देशित किया जाना न्यायसंगत समझते हैं। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दि० 5.1.2021 निरस्त किया जाता है तथा तहत न्यायालय को निर्देश	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका

अलवर (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	दिये जाते हैं कि वो उनके वहां लम्बित प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.एक्ट का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर 2 माह के अन्दर करें। अपीलांट वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में नियत दिनांक को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। [signature] 02/2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	